



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092023-248742
CG-DL-E-14092023-248742

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]
No. 529]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2023/भाद्र 23, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023/BHADRA 23, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2023

संख्या 55/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 670(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	सा.का.नि. 85(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2022 के तहत अधिसूचना सं. 11/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2022 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	इस अधिसूचना की तालिका में क्रम सं. 9 के समक्ष (i) कॉलम (2) में प्रविष्टि "8544" के स्थान पर प्रविष्टि "85" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में "संयोजित" शब्द के पश्चात् "अथवा वायरलेस चार्जिंग केबल जिसमें

		स्टैटिक कन्वर्टर और क्वाइल मौजूद हों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
2.	सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2022 के तहत अधिसूचना सं. 12/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2022 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	इस अधिसूचना में, तालिका में क्रम सं. 7 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "39, 40, 42, 73, 74, 85" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 190354/300/2021-टीआरयू]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण:-

1. मूल अधिसूचना संख्या 11/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2022, को सा.का.नि. 85(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 जिसे सा.का.नि. 319(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
2. मूल अधिसूचना संख्या 12/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2022, को सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 जिसे सा.का.नि. 319(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2023

No. 55/2023-Customs

G.S.R. 670(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes further amendments in the following notifications of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the table below to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said table, namely: -

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 11/2022-Customs, dated the 1 st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 85(E), dated the 1 st February, 2022.	In the notification, in the Table, against serial number 9,- (i) in column (2), for the entry "8544", the entry "85" shall be substituted; (ii) in column (3), in the Explanation, after the word "connector", the words "or wireless charging cable containing static converter and coil," shall be inserted.

2.	Notification No. 12/2022-Customs, dated the 1 st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 86(E), dated the 1 st February, 2022.	In the notification, in the Table, against S. No. 7, in column (2), for the entry, the entry “39, 40, 42, 73, 74, 85” shall be substituted.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[F. No. 190354/300/2021-TRU]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No. 11/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.85(E), dated the 1st February, 2022 and last amended *vide* notification No. 33/2023-Customs, dated the 27th April, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 319(E), dated the 27th April, 2023.
2. The principal notification No. 12/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.86(E), dated the 1st February, 2022 and last amended *vide* notification No. 33/2023-Customs, dated the 27th April, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 319(E), dated the 27th April, 2023.